राज्य अभियोजन अधिकारी सेवा संघ उ0प्र0

(उ0प्र0 शासन के शा0सं0 924/आठ–9–31/179/78 वि. 27.2.82 द्वारा मान्यता प्राप्त)
कमरा नं0 15, अभियोजन कार्यालय, कलेक्ट्रेट, लखनऊ

अध्यक्ष
अवधेश कुमार सिंह
9454456321

महासचिव
विजय कुमार
9454456462

कोषाध्यक्ष
अमित कुमार यादव
9454456968

सचिव
सुनील कुमार संगम

उपाध्यक्ष
विक्रम यादव (लखनऊ जोन)
विजय सिंह (वाराणसी जोन)
राकेश कुमार मौर्या (बरेली जोन)
अशोक कुमार त्रिपाठी (आगरा जोन)

संयुक्त सचिव
विवेक श्रीवास्तव (लखनऊ जोन)
नवनीत कुमार त्रिपाठी (वाराणसी जोन)
कमलेन्द्र कुमार विमल (वरेली जोन)
नीतू वर्मा (आगरा जोन)

उपसचिव
सुशील पाण्डेय (लखनऊ जोन)
अमन प्रसाद अमन (वाराणसी जोन)
ब्रजेन्द्र कुमार (वरेली जोन)
प्रशांत कुमार मिश्रा (आगरा जोन)

पत्रांक .... दिनांक ....

सेवा मे

श्रीमान्

प्रमुख सचिव (न्याय)

उ.प्र.शासन लखनऊ

विषयः उ.प्र. मे महिलाओ के विरुद्ध कारित आपराधिक मुकदमों के निस्तारण हेतु नवस्थापित होने वाले फास्ट ट्रैक(द्रुतगामी) न्यायालयों के सापेक्ष सहायक अभियोजन अधिकारियों के पदस्थापन के सम्बन्ध मे प्रत्यावेदन

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि मा. महोदय द्वारा निर्गत शासनादेश सं.6/2019/545/सात-न्याय-2-2019-36जी/201टीसी दिनाँकित 08 मार्च 2019 के द्वारा उ.प्र. मे **महिलाओ के विरुद्ध कारित आपराधिक मुकदमों के निस्तारण हेतु नवस्थापित फास्ट ट्रैक(द्रुतगामी) न्यायालयों 81 सिविलजज (जू.डि.)** की स्थापना की गयी है परन्तु उसके सापेक्ष सहायक अभियोजन अधिकारियों के पदस्थापन की व्यवस्था नही की जा रही है।उल्लेखनीय है कि अभियोजन कैडर बनने के बाद से ही कैडर रिव्यू नही हुआ है और न ही प्रदेश मे स्थापित न्यायालयों के सापेक्ष अभियोजन अधिकारियों का नियतन ही है।अभियोजन कैडर मे इस समय कुल 1266 पदों का नियतन है जिसमे कुल 104 पद अपर निदेशक अभियोजन व संयुक्त निदेशक अभियोजन के है जो जिले व मन्डल स्तर पर अभियोजन विभाग के प्रशासनिक व पर्यवेक्षणीय कार्यों के लिये है।शेष 1162 बचे पदों मे से वर्तमान मे 189 पद रिक्त है जो वर्ष 2019 मे बढ़कर 263 पद रिक्त हो जायेगे। इस प्रकार शेष बचे कुल 899 अभियोजन अधिकारियों (SPO/PO/APO) द्वारा प्रदेश भर की अदालतों मे अभियोजन कार्यों का संचालन जिला मुख्यालय व आउटलाइन की अदालतों मे किया जा रहा है। चूंकि **महिलाओ के विरुद्ध कारित आपराधिक मुकदमों के निस्तारण हेतु नवस्थापित होने वाले फास्ट ट्रैक(द्रुतगामी) न्यायालयों तीव्रता के आधार पर आपराधिक वादों का निस्तारण किया जाना है जिसमे पूर्णकालिक सहायक अभियोजन अधिकारी का पदस्थापित होना आवश्यक है** क्योकि उक्त न्यायालयों के लिये स्वतन्त्र रुप से सहायक अभियोजन अधिकारी की आवश्यकता रहेगी।वर्तमान मे उपलब्ध अभियोजन अधिकारियों मे से किसी भी दशा मे उक्त न्यायालयों मे अभियोजन कार्य कराया जाना

Scanned by CamScanner

राज्य अभियोजन अधिकारी सेवा संघ उ०प्र०

(उ०प्र० शासन के शा०सं० 924/आठ–9–31/179/78 वि. 27.2.82 द्वारा मान्यता प्राप्त)
कमरा नं० 15, अभियोजन कार्यालय, कलेक्ट्रेट, लखनऊ

अध्यक्ष
अवधेश कुमार सिंह
9454456321

महासचिव
विजय कुमार
9454456462

कोषाध्यक्ष
अमित कुमार यादव
9454456968

सचिव
सुनील कुमार संगम

उपाध्यक्ष
विक्रम यादव (लखनऊ जोन)
विजय सिंह (वाराणसी जोन)
राकेश कुमार मौर्या (बरेली जोन)
अशोक कुमार त्रिपाठी (आगरा जोन)

संयुक्त सचिव
विवेक श्रीवास्तव (लखनऊ जोन)
नवनीत कुमार त्रिपाठी (वाराणसी जोन)
कमलेन्द्र कुमार विमल (वरेली जोन)
नीतू वर्मा (आगरा जोन)

उपसचिव
सुशील पाण्डेय (लखनऊ जोन)
अमन प्रसाद अमन (वाराणसी जोन)
ब्रजेन्द्र कुमार (वरेली जोन)
प्रशांत कुमार मिश्रा (आगरा जोन)

पत्रांक .... दिनांक ....

सम्भव नहीं हो पायेगा।इसलिये **<u>महिलाओ के विरुद्ध कारित आपराधिक मुकदमों के निस्तारण हेतु नवस्थापित होने वाले फास्ट ट्रैक(द्रुतगामी) न्यायालयों</u>** की पदस्थापना के सापेक्ष 81 सहायक अभियोजन अधिकारियों की पदस्थापना भी किया जाना आवश्यक एवं अत्यन्त औचित्यपूर्ण है।

अतः मा. महोदय से विनम्र अनुरोध है कि द्रुतगामी महिला अपराधों से सम्बन्धित न्यायालयों के सापेक्ष 81 सहायक अभियोजन अधिकारियों की भी पदस्थापना कराये जाने की कृपा की जाय।जिससे महिलाओ से सम्बन्धित अपराधों के द्रुतगामी विचारण हेतु न्याय की मंशा को औचित्यपूर्ण ढंग से सफलीभूत किया जा सके। उ.प्र.अभियोजन अधिकारी सेवा संघ मा. महोदय का सदैव आभारी रहेगा।

(विजय कुमार)
महासचिव
राज्य अभियोजन अधिकारी सेवा संघ उ.प्र.

Scanned by CamScanner